



2026:AHC:14997

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44356 / 2025

नूरैन

..... आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता	: कुशाग्र श्रीवास्तव, शाहरुख
विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त-आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 261/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना मुंडाली, जनपद मेरठ में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में कुटिल उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इतिहास का स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दायर हलफनामे में किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि गैंग-चार्ट में वर्णित सभी मामलों में अभियुक्त को पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त किसी गैंग का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है तथा उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ब) में वर्णित गैंग की गतिविधियों में न तो कोई उकसावा दिया है और न ही सहायता की है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अगले तर्क में यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अभियुक्त, जो दिनांक 23.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है, यह आश्वासन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र निष्पादन की कोई संभावना नहीं है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** के प्रकरण में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र, जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. अभियुक्त की जमानत प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके तथा अभियुक्त के विरुद्ध, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार गैंग-चार्ट में दर्शाए गए मामले के अतिरिक्त कोई अन्य मामला भी इंगित नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समस्त तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित आरोपों की प्रकृति एवं साक्ष्यों को विचार में रखते हुए तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मैं यह पाता हूँ कि यह जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त प्रकरण है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदक, **नूरैन**, को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, न्यायालय संबंधित की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा/धमकाएगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (i) वाद के उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) कथन के अभिलेखन के समय।

(iv) आवेदक इस आशय का एक उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि वह उन तिथियों पर, जब साक्ष्य हेतु गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से वाद के गुण-दोष पर अभिमत के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

रविप्रकाश

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)